भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्रालय

कृषि, सहकारिता एंव किसान कल्‍याण विभाग

**राज्‍य सभा**

**तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 176\***

**28 दिसंबर, 2018 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: अलाभकारी कृषि क्षेत्र**

**\*176. श्री हरनाथ सिंह यादवः**

**क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या इस तथ्य के बावजूद कि भारत एक कृषि-आधारित देश है और कृषि उत्पादन का देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान होता है, कृषि उत्पादन के अलाभकारी हो जाने के परिणामस्वरूप कृषि कर्म घाटे का सौदा सिद्ध हो रहा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने देश में कृषि क्षेत्र में सुधार करने के लिए क्या-क्या कार्यवाही की है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है, तो इसके क्या कारण हैं?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री**

**(श्री राधा मोहन सिंह)**

**(क) तथा (ख) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।**

**दिनांक 28.12.2018 को देय ‘अलाभकारी कृषि क्षेत्र’ के संबंध में राज्‍य सभा तारांकित प्रश्‍न संख्‍या 176 के भाग (क) तथा (ख) के उत्‍तर के संबंध में उल्‍लिखित विवरण**

(क) तथा (ख): चूंकि बुआई क्षेत्र में वृद्धि करने की सीमाएं हैं, अत: फसलों की लाभप्रदता, उत्‍पादकता एवं मांग-आपूर्ति की स्‍थिति पर निर्भर करती है। फसलों की उत्‍पादकता स्‍थान विशिष्‍ट कारकों के आधार पर भिन्‍न-भिन्‍न होती है जिसमें मिट्टी, जलवायु की स्‍थिति, खेती की पद्धतियां, प्रौद्यागिकी के प्रयोग तथा उपयोग में लाए गए आदान शामिल हैं। अखिल भारतीय स्‍तर पर हाल के वर्षों में फसलों की लाभप्रदता में कमी के संबंध में कोई सामान्‍य साक्ष्‍य पाया नहीं गया है। विगत दो वर्षों में उत्‍पादकता में वृद्धि को रिकॉर्ड खाद्यान्‍न उत्‍पादन के रूप में प्रदर्शित किया गया है। 2017-18 के लिए चौथे अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में कुल खाद्यान्‍न उत्‍पादन 284.83 मिलियन टन के एक उच्‍च रिकॉर्ड तक अनुमानित है जो 2016-17 के दौरान प्राप्‍त 275.11 मिलियन टन के पूर्व रिकॉर्ड खाद्यान्‍न उत्‍पादन की तुलना में 9.72 मिलियन टन अधिक है।

सरकार किसानों के कल्‍याण के लिए वचनबद्ध है। 2018-19 मौसम में न्‍यूनतम समर्थन मूल्‍य (एमएसपी) नीति की घोषणा की गई, जिसमें किसानों के लिए कम से कम 50 प्रतिशत लाभ सुनिश्‍चित किया गया था। यह लाभ मार्जिन सुधारों के रूप में एक ऐसा दूसरा प्रगतिशील कदम है जिसे सरकार पिछले चार वर्षों से कर रही है।

सरकार कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मुख्‍य चार बिंदुओं के साथ विभिन्‍न योजनाओं को क्रियान्‍वित/पुनर्भिमुखीकरण कर रही है अर्थात् आदान लागतों में कमी करना, उत्‍पादों के लिए लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करना, अवशिष्‍ट में कमी करना तथा आय के वैकल्‍पिक स्रोतों का सृजन करना। किसानों के कल्‍याण में वृद्धि करने के संबंध में सरकार की कुछ मुख्‍य पहलें हैं- मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड (एसएचसी), गुणवत्‍ता बीजों का उत्‍पादन एवं उपलब्‍धता, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई), ई-राष्‍ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई), परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) तथा राष्‍ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए)। इसके अलावा, सरकार डेयरी उद्योग, कुक्‍कुट, मधुमक्‍खी पालन, मात्‍स्‍यिकी जैसे संबद्ध क्रियाकलापों को भी बढ़ावा दे रही है जो ऐसे आय प्रतिपूर्ति के माध्‍यम से कृषि फसलों पर निर्भरता से संबंधित जोखिमों को कम करेंगे।

सरकार किसानों में सामूहिक खेती को बढ़ावा दे रही है। एकत्रीकरण एवं अर्थव्‍यवस्‍था के पैमाने पर कृषि उत्‍पादक संगठनों (एफपीओ)/कृषक रूचि समूहों को तैयार करने के लिए छोटे एवं सीमांत किसानों को बढ़ावा दे रही है। अन्‍य बातों के साथ-साथ, एकीकृत बागवानी विकास मिशन एवं राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत, वित्‍तीय सहायता के लिए एफपीओ पात्र हैं।

सरकार की किसान हितैषी पहलों को अधिक बढ़ावा देने तथा अन्‍नदाता के लिए इसकी वचनबद्धता एवं समर्पण को ध्‍यान में रखकर, सरकार ने ‘प्रधानमंत्री अन्‍नदाता आय संरक्षण अभियान’ (पीएम-आशा) नामक एक समग्र योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का लक्ष्‍य 2018 के लिए केंद्रीय बजट में यथा घोषित किसानों के उत्‍पादों के लिए लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करना है। इस योजना का उद्देश्‍य 2018 के लिए केन्‍द्रीय बजट की घोषणा के अनुसार, जिसमें वर्तमान खरीफ विपणन मौसम से खरीद में महत्‍वपूर्ण वृद्धि करने का विचार है, किसानों को उनके उत्‍पाद के लिए लाभकारी मूल्‍य सुनिश्‍चित करना है।

\*\*\*\*\*